"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 64] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी 2013—फाल्गुन 2, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7-9/2008/1-7.—राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डी.आई.आर. राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरुद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 5 के उप-नियम (1) में शब्द एवं अंक क्रमशः "रुपये 3000/-" एवं "रुपये 6000/-" के स्थान पर शब्द एवं अंक "रुपये 10,000/-" एवं "रुपये 15,000/-" प्रतिस्थापित किया जाए.

यह संशोधन "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.